न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/154/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/468

अपीलार्थी
श्री कमलसिंह (से.नि. निरीक्षक),
पुत्र श्री नन्दराम C/O सरस्वती सीनियर सैकण्डरी विद्यालय,
रेलवे फाटक के पास, रामगढ (अलवर)–301026

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 28.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 23.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के पी.पी.ओ. नं. 1080008 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 14.10.2022 के माध्यम से उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से अपील के अनुसरण में पत्रांकः लो.सू.अ./प्रथम अपील/2022/2579 दिनांकः 04.11.22 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 23.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर जरिये पत्र सं. 2440 दिनांकः 18.10.22 के माध्यम से अभिलेखानुसार सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में **प्रथम अपील खारिज** कर निस्तारित की जाती है तथापि **लोकहित में** प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के पी.पी.ओ. सं. 1080008 की डुप्लीकेट प्रति जारी कराने के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय से तत्काल पत्राचार कर कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. आज दिनांकः 14.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)